पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

उ0प्र0 ब्रेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) एवं होम स्टे नीति–2025 की एसओपी में संशोधन

भवन स्वामी अधिकतम 08 कमरे (अधिकतम 16 शैय्या) ही किराए पर दे सकेंगे –जयवीर सिंह

लखनऊ : 11 अगस्त, 2026

उत्तर प्रदेश ब्रेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) एवं होम स्टे नीति–2025 में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अंतर्गत भवन स्वामियों को सरलतापूर्वक जुड़ने एवं लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कतिपय आवश्यक संशोधन किए गए है। यह नीति उ0प्र0 के संपूर्ण ग्रामीण परिक्षेत्र पर लागू होगी।

यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि संशोधन के मुताबिक देशी विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश में आवास, भोजन सुविधा एवं ग्रामीण जीवन का अनुभव कराने के लिए इकाई स्वामी द्वारा इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया जाएगा। संपत्तिधारक द्वारा उसके आवासीय भवन के कम से कम 01 तथा अधिकतम 08 कमरे (अधिकतम 16 शैय्या) को ही किराए पर दिया जा सकेगा। रूरल होम–स्टे में स्नानागार, शौचालय, जल, विद्युत आपूर्ति, सामान्य फर्नीचर आदि की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। शहरी क्षेत्र (नगर निगम की परिधि) के बाहर आने वाली इकाईयों द्वारा इस वर्ग के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि आवेदक का चरित्र प्रमाण–पत्र पुलिस विभाग द्वारा जारी स्व–प्रमाणन पत्र प्रारूप थर्ड के अनुसार होगा। इसी प्रकार आवेदक का भी स्व–प्रमाणन पत्र प्रारूप थर्ड के अनुसार होगा तथा अभ्यर्थी के लिए पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर स्व–प्रमाणन पत्र के प्रारूप पर होगा। संशोधन से पूर्व संपत्तिधारक द्वारा उसके आवासीय भवन के कम से कम 01 तथा अधिकतम 06 कक्ष (अधिकतम 12 शैय्या) को ही किराए पर दिया जाने की व्यवस्था थी। संशोधन के उपरांत भवन स्वामी 01 तथा अधिकतम 08 कक्ष (अधिकतम 16 शैय्या) किराए पर दिया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि उ0प्र0 ब्रेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) की एसओपी में संशोधन के फलस्वरूप अधिक से अधिक भवन स्वामियों को लाभ मिलेगा। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बीएण्डबी एवं होम–स्टे के माध्यम से भवन स्वामियों को आमदनी का जरिया तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होगे।

सम्पर्क सूत्र–केवल

वैशाली माथुर / 03:04PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gm,vkbZ l.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in